भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **538** जिसका उत्तर

गुरूवार, **22 जुलाई**, 2021/31 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया जाना है

शिपिंग चैनल्स

†538. प्रो. सौगत राय:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूरे देश में उचित लागत पर सामानों की ढुलाई के लिए नए शिपिंग चैनल्स बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य ने इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख): भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत नौवहन और नौचालन के उद्देश्य से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) राष्ट्रीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए अधिदेशित है। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा देने के लिए, देश में 24 राज्यों में फैले हुए 111 जलमार्गों (5 मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों और 106 नए जलमार्गों सहित) को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग् घोषित किया गया है, जोकि 12 अप्रैल, 2016 से प्रभावी हुआ था। रा.ज. के तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के परिणाम और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के आधार पर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने निष्कर्ष निकाला है कि 23 रा.ज. को कार्गो आवागमन के लिए व्यवहार्य पाया गया है। कार्गो आवागमन के लिए व्यवहार्य 23 रा.ज. की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) और (घ): त्रिपुरा सरकार द्वारा गुमटी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। तथापि, कार्गो की संभावना और सस्ते अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) प्रचालन के संदर्भ में प्रस्तावित जलमार्ग में राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) के रूप में घोषित करने के

लिए क्षमता नहीं है। एक मात्र उल्लखनीय कारक यह है कि गुमटी नदी का उपरोक्त जलखंड त्रिपुरा राज्य की पश्चभूमि को आईबीपी मार्ग 9 और 10 (बांग्लादेश में इस नदी के दौडकंडी-सोनामुरा जलखंड) के माध्यम से बांग्लादेश से जोड़ेगा।

केरल के दक्षिण में कोल्लम (क्विलोन) से कोवलम तक और उत्तर में कोट्टपुरम से होसदुर्ग तक राष्ट्रीय जलमार्ग- 104 (रा.ज.-104)को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के संबंध में एक प्रस्ताव केरल के माननीय मुख्यमंत्री से मई, 2016 में प्राप्त हुआ था। कोल्लम (क्विलोन) के दक्षिण में कोवलम तक और कोट्टपुरम के उत्तर में कासरगोड़ तक वेस्ट कोस्ट कनाल के विस्तार के संबंध में वर्ष 2014 में राष्ट्रीय परिवहन योजना एवं अनुसंधान केंद्र (एनएटीपीएसी- केरल सरकार की संस्था) के माध्यम से एक तकनीकी- आर्थिक व्यवहार्यता (टीईएफ) अध्ययन किया गया था। टीईएफ अध्ययन में कोट्टपुरम के उत्तर में केवल कोट्टपुरम-कोझीकोड़ (कालीकट) जलखंड को ही नौवहन और नौचालन के विकास के लिए तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया गया था और तदनुसार कोट्टपुरम के उत्तर में कोझीकोड़ (कालीकट) तक वेस्ट कोस्ट कनाल के विस्तार के संबंध में राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 में विचार किया गया था। टीईएफ रिपोर्ट के अनुसार कालीकट - नीलेश्वरम जलखंड, जोकि कोट्टपुरम- होसदुर्ग जलमार्ग का भाग है, नौवहन और नौचालन के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया था। वर्कला सुरंग के होने के कारण कोल्लम (क्विलोन) - कोवलम जलखंड (कोल्लम के दक्षिण में) भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। जुलाई, 2016 में केरल के माननीय मुख्यमंत्री को उपर्युक्त स्थिति से अवगत करवाया गया था। तथापि, इसके बाद, केरल सरकार ने 6,000 करोड़ रु. की लागत पर कोल्लम से कोवलम और कोझीकोड़ से कासरगोड़ तक अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए एक एसपीवी के गठन के लिए प्रस्ताव अग्रेषित किया था।

केरल के माननीय मुख्यमंत्री को माननीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री ने मार्च, 2018 में सूचित किया था कि भारत सरकार की किसी योजना के अभाव में, पोत परिवहन मंत्रालय को ऐसे जलखंडों के फेयरवे विकास के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में कठिनाई होगी, जो घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) के भाग नहीं हैं।

*****

अनुबंध

कार्गो आवागमन के लिए व्यवहार्य पाए गए 23 राष्ट्रीय जलमार्गों की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग सं.	जलमार्गों का ब्यौरा	राज्य
1.	राष्ट्रीय जलमार्ग 1	गंगा -भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया - इलाहाबाद)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल
2.	राष्ट्रीय जलमार्ग 2	ब्रह्मपुत्र नदी (धुब्री-सादिया)	असम
3.	राष्ट्रीय जलमार्ग 16	बराक नदी	असम
4.	राष्ट्रीय जलमार्ग 3	वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम), चंपाकरा एवं उद्योगमंडल नहर	केरल
5.	राष्ट्रीय जलमार्ग 4	कृष्णा नदी (विजवाड़ा-मुक्तयला)	आंध्र प्रदेश
6.	राष्ट्रीय जलमार्ग 5	मंगलागढ़ी से पानकोपल से होते हुए धमरा-पराडियो	ओडिशा
7.	राष्ट्रीय जलमार्ग 8	अलाप्पुझा -चंगनसरी नहर	केरल
8.	राष्ट्रीय जलमार्ग 9	अलाप्पुझा -कोट्टायम -अथिरमपुजा नहर	केरल वैकल्पिक मार्ग: 11.5 कि.मी.
9.	राष्ट्रीय जलमार्ग 27	कंबरजुआ नदी	गोवा
10.	राष्ट्रीय जलमार्ग 68	माण्डवी नदी	गोवा
11.	राष्ट्रीय जलमार्ग 86	रूपनरायण नदी	पश्चिम बंगाल
12.	राष्ट्रीय जलमार्ग 97	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल
13.	राष्ट्रीय जलमार्ग 111	ज़ुआरी नदी	गोवा
14.	राष्ट्रीय जलमार्ग 10	अंबा नदी	महाराष्ट्र
15.	राष्ट्रीय जलमार्ग 44	इच्छामती नदी	पश्चिम बंगाल
16.	राष्ट्रीय जलमार्ग 52	काली नदी	कर्नाटक
17.	राष्ट्रीय जलमार्ग 57	कोपिली नदी	असम
18.	राष्ट्रीय जलमार्ग 73	नर्मदा नदी	महाराष्ट्र और गुजरात
19.	राष्ट्रीय जलमार्ग 83	राजपुरी क्रीक	महाराष्ट्र
20.	राष्ट्रीय जलमार्ग 85	रेवदंडा क्रीक -कुंडलिका नदी प्रणाली	महाराष्ट्र
21.	राष्ट्रीय जलमार्ग 91	शास्त्री नदी -जयगढ़ क्रीक प्रणाली	महाराष्ट्र
22.	राष्ट्रीय जलमार्ग 94	सोन नदी	बिहार
23.	राष्ट्रीय जलमार्ग 100	तापी नदी	महाराष्ट्र और गुजरात